(2)

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / **दिनांक–**

18298
14.12.16

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, बिक्रमगंज
जिला– रोहतास

महाशय,

नगर पंचायत, बिक्रमगंज के वर्ष 2012–13 से 15–16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 300/16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

प्रधान सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
प्राप्ति तिथि 14 DEC 2016

पत्र प्राप्ति
15 DEC 2016
13812

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 /14622/348 **दिनांक–** 08/12/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, रोहतास

545
16/12/16

(हस्ताक्षर) 8/12/16
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं0–300/16–17

भाग–1

प्रस्तावना

1. निरीक्षित कार्यालय का नामः– नगर पंचायत बिक्रमगंज, रोहतास

2. लेखा परीक्षा की अवधिः– 2012–13 से 2015–16

3. लेखा परीक्षा का क्षेत्रः–लेखा परीक्षा में नमूना जॉच किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट –I एवं लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II पर हैं।

4. लेखा परीक्षा की तिथिः– 12–05–2016 से 18–05–2016

5. **प्रशासन**

क्र0	मुख्य पार्षद का नाम	अवधि
1.	श्रीमती अख्तरी खातून	09.06.2012 से 30.06.2014
2.	श्रीमती रंजू देवी	02.08.2014 से 31.03.2016

क्र0	उप मुख्य पार्षद का नाम	अवधि
1.	श्री विरेन्द्र प्रसाद सिंह	09.06.2012 से 30.06.2014
2.	श्री विकास कुमार सिंह	02.08.2014 से 31.03.2016

क्र0	नगर कार्यपालक पदाधिकारी	अवधि
1.	श्री राणा कुलवीर बहादुर सिंह	01.04.2012 से 13.02.2014
2.	श्री ददन जी पाण्डेय	26.02.2014 से 15.10.2014
3.	श्री विरेन्द्र कुमार	08.11.2014 से 31.03.15
4.	श्री राकेश कुमार चौबे	22.04.2015 से 09.05.2015
5.	श्री राहुल कुमार	29.05.2015 से 14.07.2015
6.	श्री सुरेश राम	07.09.2015 से 31.03.2016

6. लेखा परीक्षा दल के सदस्यगणः–
   1. श्री संजीव नयन, स0ले0प0अ0
   2. श्री राजकिशोर कुमार, पर्यवेक्षक
   3. श्री सुनील कुमार, व0ले0प0
   4. श्री सुमन कुमार ठाकुर, लेखापरीक्षक

7. निरीक्षण अधिकारी का नामः– श्री रवि कुमार, ले0प0अ0

8. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 93 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को उन पर अपनी टिप्पणी के साथ पेश करेंगे, जो जांचोपरांत उन्हें अपनी टिप्पणी के, यदि कोई हो, के साथ नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगें। साथ ही, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में लेखा परीक्षक द्वारा बतायी गयी त्रुटियों को दूर करेंगे। इसके अतिरिक्त धारा 94 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, नगरपालिका द्वारा लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन अंगीकार किए जाने के पश्चात उस पर नगरपालिका द्वारा की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उन्हें राज्य सरकार को अग्रसारित करेंगे और इसकी प्रति स्थानीय लेखापरीक्षक को भेजेंगे।

नगर पंचायत, बिक्रमगंज के वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन नगर पंचायत, बिक्रमगंज के द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अंकेक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है।

अतएव लेखा परीक्षा को यह अवगत नहीं कराया गया कि निकाय कार्यालय द्वारा कितने पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं को अधिनियम के उपरोक्त धाराओं के अनुसार सशक्त स्थायी समिति तथा बोर्ड के समक्ष विचार के लिए रखा गया तथा उन पर कार्रवाई की गयी या नहीं।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को भेज दिया जायगा। अतः जवाब के अनुरूप शीघ्र कार्रवाई की जाय।

9. सामान्य अभियुक्ति

नगर पंचायत बिक्रमगंज की लेखा का संधारण संतोषप्रद नहीं था। इसमें सुधार की आवश्यकता है। अनुदान पंजी, अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया, गृह कर, मोबाईल टावर तथा सैरातों की वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास की आवष्यकता थी। नगर निकाय प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि इन अभिलेखों का संधारण करवाया जाए। कार्यालय द्वारा सरकारी अनुदानों की राषि को अवरोधित रखने की प्रवृत्ति पायी गयी तथा अनुदानों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा था। नगर निकाय कार्यालय द्वारा बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के अनुपालन में लेखाओं का संधारण नहीं किया गया था। अतः निकाय प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि लेखाओं का संधारण नियमानुकूल किया जाए।

10 कार्यपालक से वार्तालाप की गई :– हाँ

11 लेखापरीक्षा का परिणाम :– अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि– 232040
वसूली हेतु सुझाई गई राशि– 1471349
आपत्ति के अधीन रखी गई राशि– 144421

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– III पर)

12 बजट प्राक्कलन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 से 85 में नगरपालिका का बजट बनाने, उसकी मंजूरी तथा बजट अनुदान में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथासम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करना है। नगर निकाय बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट राज्य सरकार को भेजेगी। यथा स्थिति राज्य सरकार उपरोक्त उपधारा के अधीन प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से सम्बद्ध उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगर निकाय को लौटा देगी।

परन्तु नगर पंचायत द्वारा बजट संचिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, इसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

13. वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र नहीं बनाया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 88 तथा 89 में क्रमशः वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय– व्यय लेखा तथा प्राप्तियॉ एवं अदायगी को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त धारा 89 में प्रावधान किया गया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर पूर्ववर्ती वर्ष के लिए नगरपालिका की आस्तियों एवं दायित्वों से संबद्ध तुलन पत्र (BALANCE SHEET) तैयार करना है।

नगर पंचायत, बिक्रमगंज के वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि सभी वित्तीय वर्ष का वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र को नहीं बनाया गया था। अतएव वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र को तैयार नहीं करने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि वित्तीय विवरण एवं बैलेंस शीट बना कर महालेखाकार, बिहार, पटना को भेज दिया जायेगा।

14. आय– व्यय विवरणी एवं बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाया जाना

नगर पंचायत बिक्रमगंज के प्रस्तुत किए गए लेखापाल/सहायक रोकड़ बहियों के अनुसार वर्ष 2012–13 से 2015–16 का आय– व्यय विवरणी (परिशिष्ट– IV संलग्न) लेखापरीक्षा में तैयार किया गया है ।

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. रोकड़ बही का संधारण सही तरीके से नहीं किया गया है, प्राप्त राशि का पूर्ण विवरण अर्थात स्वीकृतीदाता पदाधिकारी का पत्रांक/दिनांक एवं उद्देश्य दर्ज नही है।
2. किसी भी रोकड़बही मे मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक आय व्यय विवरणी तथा बैंक समाधान विवरणी नहीं तैयार किया गया।

3. संबंधित अभिश्रवों क्रमानुसार एक ही संचिका में नहीं रखा गया था, सभी अभिश्रव अलग– अलग संचिका में थे जिसके फलस्वरूप सभी अभिश्रवों का मिलान रोकड़बही से नहीं किया जा सका।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि लेखापरीक्षा में रोकड़बही में दर्शाये गये त्रुटियों से शीघ्र ही दूर कर लिया जायेगा। अतः रोकड़ बही में त्रुटियों को दूर कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

15. आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 में आंतरिक लेखा परीक्षा का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राज्य सरकार या नगर निकाय प्रतिदिन के लेखाओं की लेखा परीक्षा की व्यवस्था उस रीति से करेगी जैसा कि वह उचित समझे।

नगर पंचायत, बिक्रमगंज के वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर निकाय कार्यालय द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। जिसके कारण नगर निकाय के प्राप्तियों तथा व्ययों में कई गंभीर अनियमिततायें पायी गयी जिसका विवरण आगे के ज्ञापणों में दिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा में यह अवगत नहीं कराया गया कि नगर निकाय कार्यालय में वित्तीय अनुशासन एवं लेखा–नियंत्रण स्थापित करने के लिए ठोस एव सुदृढ कार्रवाई की गयी या नहीं एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 में विहित आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रावधानों के अंतर्गत व्यवस्था की गयी अथवा नहीं।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गंए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग–।। (क)– शून्य

भाग–।। (ख)

कंडिका 1– संचार टावरों का अनाधिकृत अधिष्ठापन एवं पंजीकरण और नवीकरण शुल्क की वसूली नहीं राशि रू 26.23 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार टावर संबंधित संरचना पर करों के सम्बन्ध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कोई संचालक जो पूर्व मे संचार टावर स्थापित कर चुका है या स्थापित करना चाहता है उसे संबंधित दस्तावेज तथा विहित अपेक्षित फीस के साथ नगरपालिका को आवेदन करना है।

नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत पंजीकरण शुल्क के रूप में **रू 30000** प्रति टावर एवं **रू 8000** नवीकरण शुल्क प्रति वर्ष निर्धारित किया है। नियम 6(4) के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से लगाया जाएगा।

नियमावली 6(7) के अनुसार वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा अनुपातिक रूप से देय होगा, अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नगर पंचायत ब्रिकमगंज द्वारा लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 31.03.2016 तक 16 अधिष्ठापित संचार मीनार थे, जिनके पास लेखापरीक्षा के गणना के अनुसार **रू 2622600** बकाया था। जिसका विस्तृत विवरणी संलग्न है। **इन संचार मीनारों से बकाया राशि की नियमानुसार वसूली की जाय। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट– V पर)**

जवाब में कहा गया कि सभी संचार टावरो को बकाया पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया जायगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई करते हुए बकाया राशि की क्सूली की जाय।

कंडिका 2– सामग्री क्रय में अनियमितता एवं करों की स्रोत पर कटौती नहीं रू 21315

नगर पंचायत, बिक्रमगंज के वार्ड पार्षदों के सामान्य बैठक दिनांक 8.12.2015 के प्रस्ताव संख्या– 04 (।।।) द्वारा स्थानीय बाजार से 85 वाट का 200 सी0एफ0एल0 बल्ब क्रय करने का निर्णय लिया गया। संबंधित निर्णय के आलोक में कोटेशन आमंत्रित कर सत्या वॉच हाउस, डुमरॉव रोड, बिक्रमगंज से रू 735 प्रति बल्ब के दर से 200 सी0एफ0एल बल्ब का क्रय किया गया।

परन्तु क्रय किये गये सामग्रियों के भुगतान विपत्र से स्रोत पर वैट एवं आयकर की कटौती नहीं की गयी है।

क्र	सामग्री	आपूर्तिकर्ता	मूल्य	वैट दर (%)	अनुमान्य वैट	वैट कटौती	वैट की कम कटौती
1	CFL BULB 85 WATT Khaitan 72 Pc.	SATYA WATCH HOUSE, Dumraon Road, Bikramganj, Rohtas	52920	14.5	7673.4	0	7673.4
2	CFL BULB 85 WATT Khaitan 72 Pc.	SATYA WATCH HOUSE, Dumraon Road, Bikramganj, Rohtas	52920	14.5	7673.4	0	7673.4
3	CFL BULB 85 WATT Khaitan 56 Pc.	SATYA WATCH HOUSE, Dumraon Road, Bikramganj, Rohtas	41160	14.5	5968.2	0	5968.2
		TOTAL	147000	14.5	21315	0	21315

बिहार वैट अधिनियम 2005 के धारा 40 के साथ पठित संगत नियम 28 के अन्तर्गत आपूर्तिकर्त्ता के विपत्र से वैट की कटौती करना अनिवार्य है। कटौती केवल उसी स्थिति में नहीं की जा सकती है जब आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अंचल प्रभारी वाणिज्य द्वारा निर्गत प्रपत्र C-III प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो। बिहार वैट अधिनियम 2005 के धारा 41 (06) के प्रावधान के अनुसार वैट की कटौती नहीं करने पर भुगतान करने वाले संस्थान पर निहित कर की राशि की दोगुनी राशि शास्ति (पेनाल्टी) के रूप में अधिरोपित करने का प्रावधान है। अतः वैट मद में कम कटौती की राशि रू 21315 की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से कर के इसे वैट मद में जमा किया जाय।

बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (0) एवं (P) के अनुसार किसी भी आपूर्ति पर Perfomance Security के रूप में गांरटी अवधि तक कुल मूल्य का 05–10 प्रतिशत की राशि Security deposit के रूप में कार्यालय द्वारा रखी जाती है, ताकि भविष्य में कुछ गड़बड़ी या असहमति होने पर राशि को Forfeit की जा सके, परन्तु उपर्युक्त सामानों के अंतिम भुगतान के समय इस तरह की कोई राशि नहीं काटी गयी है।

भंडार एवं वितरण पंजी अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। सबंधित अभिश्रवों पर भी भंडार पंजी में प्रविष्टि करने का प्रमाण पत्र अंकित नहीं है। सभी क्रय किये गये सामग्रियों को नियमानुसार भंडार पंजी में प्रविष्टि की जाय एवं भंडार पंजी का पृष्ठ संख्या अभिश्रव पर भी अंकित किया जाय।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि सबंधित फर्मो से सभी करों की वसूली कर ली जायगी। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई करते हुए रू 21315 की वसूली की जाय।

कंडिका 3– सामग्री क्रय में अनियमितता एवं करों की स्रोत पर कटौती नहीं रू 271040

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बिक्रमगंज के पत्रांक 203 दिनांक 09.05.2015 द्वारा एल0ई0डी0 लाईट के क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किये गये। बिहार वित्त नियमावली 2005 के नियम 131

के अनुसार यदि क्रय समाग्री का मूल्य रू 10 लाख या अधिक हो तो तीन सदस्यीय क्रय समिति के गठन किये जाने का प्रावधान है, परन्तु क्रय समिति का गठन नहीं किया गया। संचिका में सफल निविदा के अतिरिक्त प्राप्त अन्य निविदा संलग्न नहीं है। नोटशीट में यह भी उल्लेख नहीं है कि कुल कितने निविदा प्राप्त हुए। तुल्नात्मक विवरणी भी संचिका में संलग्न नहीं है, जिससे यह प्रतीत होता है कि एक ही निविदा प्राप्त हुआ है।

क्रय किये गये सामग्रियों के भुगतान विपत्र से स्रोत पर वैट की कटौती की गयी परन्तु सेवाकर की कटौती नहीं की गयी है।

क्र	समाग्री	आपूर्तिकर्ता	मूल्य	वैट दर(%)	वैट राशि	वैट कटौती	वैट की कम कटौती	अभियुक्ति
		सामाग्री का विपत्र						
1	High Mast LED Light with installation. 11 pc. @ Rs. 670000/ pc.	Panther Unit Infrastructure (P) Ltd., Punaichak, Patna	4548863	13.5	614097	614097	0	
		अधिष्ठापन कार्य का विपत्र						
			अधिष्ठापन व्यय	सेवा कर दर	सेवा कर	सेवाकर कटौती	सेवाकर की कम कटौती	
			1936000	14	271040	0	271040	

इसके अतिरिक्त 45 वाट एल0ई0डी0 लाईट का रू 3629696 रू का विपत्र संचिका में संलग्न है, जिसका आंशिक भुगतान किया गया है, अंतिम भुगतान के पूर्व नियमानुसार सभी करों का स्रोत पर कटौती कर लिया जाये।

भारत सरकार द्वारा जुलाई 1994 में वित्त अधिनियम, 1994 के माध्यम से चुनिंदा सेवाओं के लिए सेवा कर लागू किया गया है जिसके अंतर्गत इन सेवा प्रदाताओं को सेवा कर का भुगतान करना है। इस अधिनियम की धारा 65 बी एवं 66 ई के अनुसार वाणिज्यिक सेवाओं पर सेवा कर अधिरोपित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 75 तथा 76 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर निर्धारित अवधि में सेवा कर की वसूली नहीं की जाती है तो 15 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष इस पर सूद देय होगा। उपरोक्त तालिका के अनुसार अधिष्ठापन कार्य विपत्र से रू 271040 का सेवाकर के रूप में कटौती नहीं किया गया।

बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (0) एवं (P) के अनुसार किसी भी आपूर्ति पर Perfomance Security के रूप में गारंटी अवधि तक कुल मूल्य का 05–10 प्रतिशत की राशि Security deposit के रूप में कार्यालय द्वारा रखी जाती है, ताकि भविष्य में कुछ गड़बड़ी या असहमति होने पर राशि को Forfeit की जा सके, परन्तु उपर्युक्त सामानों के अंतिम भुगतान के समय इस तरह की कोई राशि नहीं काटी गयी है।

भंडार एवं वितरण पंजी अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। संबंधित अभिश्रवों पर भी भंडार पंजी में प्रविष्टि करने का प्रमाण पत्र अंकित नहीं है। सभी क्रय किये गये सामग्रियों को नियमानुसार भंडार पंजी में प्रविष्टि की जाय एवं भंडार पंजी के पृष्ठ संख्या अभिश्रव पर भी अंकित किया जाय।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि सबंधित फर्मो से सभी करों की वसूली कर ली जायगी। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई करते हुए रू 271040 की वसूली की जाय।

कंडिका 4– सामग्री क्रय में अनियमितता एवं करों की स्रोत पर कटौती नहीं रू 413884

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बिक्रमगंज के पत्रांक 247 दिनांक 6.09.2014 द्वारा निम्नांकित सामग्रियों के क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किये गये। प्रकाशन हेतु इसे सहायक निदेशक विज्ञापन, को भेजा गया परन्तु संचिका में प्रकाशित सूचना संलग्न नहीं पाया गया। प्रकाशित सूचना की प्रति लेखापरीक्षा में उपलब्ध करायी जाय।

बिहार वित्त नियमावली 2005 के नियम 131 के अनुसार यदि क्रय सामग्री का मूल्य रू 10 लाख या अधिक हो तो तीन सदस्यीय क्रय समिति के गठन किये जाने का प्रावधान है, परन्तु क्रय समिति का गठन नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि तुल्नात्मक विवरणी पर किसी भी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है।

क्रय किये गये समाग्रियो के भुगतान विपत्र से स्रोत पर वैट एवं आयकर की कटौती नहीं की गयी है।

क्र	सामग्री	आपूर्तिकर्ता	मूल्य	वैट दर	अनुमान्य वैट	वैट कटौती	वैट की कम कटौती
1	Sunction Machine 1 pc	Mars Equipment Ltd., kankarbagh, Patna	578888	5.5	31839	31839	0
2	Hand Trolly 110 L 25 pc.	Panther Unit Infrastructure (P) Ltd., Punaichak, Patna	250000	5	12500	12500	0
3	NAPSAK SPRAYER 25 pc.	Aditya Traders, Kachahri Road, Babhua, Kaimur.	74250	5	3713	0	3713
4	Road side Bin 150 L-Double 10C set	Panther Unit Infrastructure (P) Ltd., Punaichak, Patna	1757710	13.5	237290	0	237290
5	Dust Bin 240 L 80 pc.	Panther Unit Infrastructure (P) Ltd., Punaichak, Patna	539200	13.5	72792	0	72792
6	Dust Bin 240 L 110 pc.	Panther Unit Infrastructure (P) Ltd., Punaichak, Patna	741400	13.5	100089	0	100089
		TOTAL	3941448		458223	44339	413884

बिहार वैट अधिनियम 2005 के धारा 40 के साथ पठित संगत नियम 28 के अन्तर्गत आपूर्तिकर्त्ता के विपत्र से वैट की कटौती करना अनिवार्य है। कटौती केवल

उसी स्थिति में नहीं की जा सकती है जब आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अंचल प्रभारी वाणिज्य द्वारा निर्गत प्रपत्र C-III प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो। बिहार वैट अधिनियम 2005 के धारा 41 (06) के प्रावधान के अनुसार वैट की कटौती नहीं करने पर भुगतान करने वाले संस्थान पर निहित कर की राशि की दोगुनी राशि शास्ति (पेनाल्टी) के रूप में अधिरोपित करने का प्रावधान है। अतः वैट मद में कम कटौती की राशि रू 413884 की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से कर के इसे वैट मद में जमा किया जाय।

बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (0) एवं (P) के अनुसार किसी भी आपूर्ति पर Perfomance Security के रूप में गारंटी अवधि तक कुल मूल्य का 05–10 प्रतिशत की राशि Security deposit के रूप में कार्यालय द्वारा रखी जाती है, ताकि भविष्य में कुछ गड़बड़ी या असहमति होने पर राशि को Forfeit की जा सके, परन्तु उपर्युक्त सामानों के अंतिम भुगतान के समय इस तरह की कोई राशि नहीं काटी गयी है।

भंडार एवं वितरण पंजी अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। सबंधित अभिश्रवों पर भी भंडार पंजी में प्रविष्टि करने का प्रमाण पत्र अंकित नहीं है। सभी क्रय किये गये सामग्रियों को नियमानुसार भंडार पंजी में प्रविष्टि की जाय एवं भंडार पंजी का पृष्ठ संख्या अभिश्रव पर भी अंकित किया जाय।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि सबंधित फर्मो से सभी करों की वसूली कर ली जायगी। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई करते हुए रू 413884 की वसूली की जाय।

कंडिका 5– नक्शा स्वीकृति में डेवलपमेन्ट परमिट फीस नहीं लेने के कारण रू 24000 की हानि

बिल्डिंग बाई लॉ के नियम 4.1 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति संगठन सहित, केन्द्र/राज्य सरकारों के विभाग या स्थानीय निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन करने या गिराने अथवा भूमि के किसी खण्ड का विकास करने से पूर्व प्राधिकार से पृथक भवन निर्माण अथवा विकास करने की अनुमति लेना होगा। इसके अतिरिक्त, मोडिफाईड बिल्डिंग बाई–लॉ के बाई–लॉ सं0 6.1 में यह प्रावधान किया गया है कि नक्शा का कोई भी आवेदन तब तक वैध नहीं होगा जब तक की आवेदनकर्ता बाई–लॉ सं0 6.2 में उल्लेखित निम्न डेवलपमेन्ट परमिट फीस जमा नहीं कर देता है तथा आवेदन के साथ रसीद की अभिप्रमाणित कॉपी संलग्न नहीं करता है–

क्षेत्रफल	**परमिट फीस**
एक हेक्टेयर तक	रू 1500/–
एक हेक्टेयर एवं उससे ऊपर तथा 2.5 हेक्टेयर तक	रू 3000/–
2.5 हेक्टेयर से ऊपर	रू 5000/–

वाणिज्यिक भवनों के लिए उपरोक्त का दोगुना शुल्क लेना है।

राज्य सरकार ने जून 2009 में एक अधिसूचना निकाला कि 15 जूलाई 2009 के बाद सभी भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति वास्तुविदों द्वारा दिया जाएगा तथा 'विकास परमिट शुल्क', भवन निर्माण

परमिट शुल्क एवं अन्य शुल्क जो स्थानीय शहरी निकायों द्वारा लगाया जाएगा की वसूली वास्तुविदों द्वारा की जाएगी तथा भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रतिवेदनों के साथ प्राप्त राशि निकाय कोष में उनके द्वारा जमा की जाएगी।

निकाय कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक के लेखापरीक्षा अवधि में पारित किये गये नक्शों से संबंधित रजिस्टर एवं अभिलेख संधारित/प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नक्शा पंजी के अनुसार कुल 16 नक्शा दिसम्बर 2015 से फरवरी 2016 में पारित किया गया है। पूर्व में पारित किये गये नक्शो की सूची/रजिस्टर/अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

इन स्वीकृत नक्शों की जॉच में पाया गया कि किसी भी नक्शा की स्वीकृति के लिए नगर निकाय द्वारा डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ता से नहीं लिया गया था। इस अवधि में कुल 16 नक्शे नगर पंचायत, बिक्रमगंज कार्यालय द्वारा पारित किये गये थे, लेकिन डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ताओं से नहीं लिया गया था। न्यूनतम प्रति नक्शा रू 1500 के गणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2014–15 के अवधि में नगर पंचायत को स्वीकृत नक्शों पर नगर निगम कार्यालय को न्यूनतम रू 24000 (16 X 1500) की हानि हुई।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा स्वयं तथा वास्तुविदों के माध्यम से डेवलपमेन्ट परमिट फीस की वसूली नहीं करने का कारण लेखा परीक्षा को नहीं बताया गया। उक्त हानि की राशि रू 24000 को नगर निकाय कार्यालय द्वारा अथवा संबंधित वास्तुविदों के माध्यम से वसूल किया जाए।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में परमिट फीस वसूल की जायगी। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त वर्णित पारित नक्शों में हुई हानि की प्रतिपूर्ति/वसूली हेतु प्रयास नहीं किये गए है, अतः राशि रू 24000 के वसूली हेतु प्रयास किया जाये।

कंडिका 6– नक्शा पारित करने में रू 2.49 लाख के श्रम सेस की वसूली नहीं किया जाना

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या– वी0सी0 डब्लू0सी0–01/2008 द्वारा राज्य सरकार के सभी कार्य विभागों को यह सूचित किया गया था कि बिहार राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" का गठन दिनांक–18.02.08 को किया जा चुका है। साथ ही सभी कार्य विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि वे वित्तीय वर्ष 2007–08 से उनके द्वारा लिए गये योजनाओं के कुल लागत का एक प्रतिशत सेस श्रम संसाधन विभाग के विकास भवन में गठित "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" में जमा करें।

इसके अतिरिक्त वैसे रिहायसी मकान जो निजी उपयोग के लिए बनाये गये थे और जिनकी लागत 10 लाख रूपये से अधिक थी उनसे एक प्रतिशत राशि नक्शा पारित करने के समय ही वसूल कर नगर पंचायत अथवा नगरपालिका में जमा करना था।

साथ ही यह भी प्रावधान किया गया था कि निर्धारित समय पर सेस जमा नहीं करने पर कुल सेस का दो प्रतिशत प्रतिमाह सूद के देनदार होंगे। साथ ही कुल शेष राशि के बराबर अर्थात एक प्रतिशत + एक प्रतिशत – कुल दो प्रतिशत सेस राशि उनसे वसूली जाएगी। प्राधिकारी जिनके द्वारा सेस जमा किया जाएगा जमा किए जाने वाले कुल उपकर राशि का एक प्रतिशत प्रशासनिक एवं अन्य खर्च हेतु व्यय कर सकेंगे।

श्रम संसाधन विभाग द्वारा इसके व्यापक प्रचार– प्रसार के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से भी यह सूचना प्रकाशित करायी गयी थी।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में नक्शा पारित करते समय न तो नगर पंचायत कार्यालय द्वारा तथा न ही वास्तुविदों द्वारा इस सेस की वसूली की गयी थी। नगर पंचायत कार्यालय तथा वास्तुविदों द्वारा नक्शों में भवन निर्माण की प्राक्कलित राशि भी नहीं दर्शायी गयी थी। इसके कारण अंकेक्षण द्वारा श्रम सेस की वास्तविक हानि ज्ञात नहीं की जा सकी।

भारत सरकार के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं मानक एकक) निर्माण भवन, नई दिल्ली के पत्रांक सं0 62/एस ई (टी ए एस) प्लिन्थ एरिया रेट्स/122 दिनांक 12.12.2007 के अनुसार दिनांक 01.10.2007 से नई कुर्सी क्षेत्र (आधार 100 पर) दर लागू था। जिसके अनुसार प्रति फ्लोर 2.90 मी0 ऊँचाई वाले आवासीय/गैर आवासीय छः तल्ले तक के भवनों के निर्माण का लागत रू 9000.00 प्रति वर्गमीटर था। इस आधार दर पर समयानुसार मूल्य सूचकांक की भी स्वीकृति दी गयी थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

पत्रांक/दिनांक	स्थल का नाम	लागू होने की तिथि	मूल्य सूचकांक
No.19(2)/CE(EZ-II)/2008/ 806 दिनांक 25.6.2008	पटना	04/2008	122
No.19(2)/CE(EZ-II)/2009/2010 दिनांक 21.12.2009	पटना	12/2009	147
No.19(2)/CE(EZ-II)/2011/73 दिनांक 12.1.2011	पटना	12/2010	155
स 19(2)/मु0अ0(पू.अं.–II)/2011/ 4648–71 दिनांक 28. 12.11	पटना	12/2011	169
सं 19(2)/मु0अ0(पू.अं.– II)/2013/ 189–203 दिनांक 09.01.13	पटना	01/2013	179
अतः नवीनतम अधिसूचित दर रू 16110 (9000X1.79) प्रति वर्ग मीटर निर्धारित है जो कि 09.01.2013 से लागू है। अर्थात 62.1 वर्ग मीटर एवं अधिक के सभी भवनों से श्रम सेस की वसूली नक्शा पारित करने के समय ही अपेक्षित है।			

वर्ष 2007 में लागू प्रति वर्गमीटर कुर्सी दर रू 9000 के आधार दर पर 179 प्रतिशत मूल्य सूचकांक को जोड़कर वर्ष 2015–16 में नगर पंचायत द्वारा पारित कुल नक्शों के लागत मूल्य की गणना की गयी। इसके आधार पर जिन भवनों का लागत मूल्य रू 10 लाख से अधिक था के गणना के आधार पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा न्यूनतम कुल रू 248526 के श्रम सेस की वसूली नहीं की गयी थो जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	नगर पंचायत कार्यालय द्वारा स्वीकृत नक्शों की संख्या	10 लाख रू0 से अधिक लागत मूल्य के भवनों की संख्या	वसूल नहीं की गयी श्रम सेस की राशि	नगर पंचायत कार्यालय को सेस वसूली में हुयी प्रशासनिक हानि	अभियुक्ति
2015–16	16	13	248526	2485	
		योग	248526	2485	

लेखा परीक्षा में यह सूचित नहीं किया गया कि किन परिस्थितियों में श्रम सेस की राशि की कटौती उक्त भवनों से नहीं की गयी थी। जिसके कारण श्रम विभाग को रू 248526 के श्रम सेस की हानि हुई तथा इसके अतिरिक्त रू 2485 की प्रशासनिक हानि नगर निकाय को हुयी।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा स्वयं तथा वास्तुविदों के माध्यम से श्रम सेस की वसूल नहीं करने का कारण लेखा परीक्षा को बताया जाए। उक्त हानि की राशि रू 248526 को नगर निकाय कार्यालय द्वारा अथवा संबंधित वास्तुविदों के माध्यम से सूद सहित वसूल कर श्रम विभाग में जमा किया जाए।

विवरणी

Sl.	Record No.	Year	Name of Applicant	Ward No.	Area Sq.M	Rate	Estimated Cost	Labour cess
1	1	2015-16	SASHIBHUSHAN KR.	9	155	16110	2497050	24971
2	2	2015-16	UMAKANT SINGH	11	63.22	16110	1018474.2	10185
3	3	2015-16	UMESH KUMAR SINGH	16	94.83	16110	1527711.3	15277
4	4	2015-16	SANJAY KUMAR RAI	16	132.76	16110	2138763.6	21388
5	5	2015-16	KUNWAR PD SINGH	16	139.08	16110	2240578.8	22406
6	6	2015-16	SEEMA SINHA	9	189.66	16110	3055422.6	30554
7	7	2015-16	GUDIA DEVI	NA	110.63	16110	1782249.3	17822
8	8	2015-16	KAPILDEO SHARMA	12	63.22	16110	1018474.2	10185
9	9	2015-16	BINDU DEVI	NA	63.22	16110	1018474.2	10185
10	12	2015-16	SUDARSHAN SINGH	NA	126.44	16110	2036948.4	20369
11	13	2015-16	RANGBAHADUR SINGH	8	101.17	16110	1629848.7	16298
12	14	2015-16	RAGHUBIR PRAJAPATI	16	177.01	16110	2851631.1	28516
13	15	2015-16	PINKI DEVI	NA	126.44	16110	2036948.4	20369
			TOTAL					**248526**

Remarks - Area of Maps Passed by record No. 10 & 11 is not entered in Map Register.

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में श्रम सेस की वसूली की जायेगी। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त वर्णित पारित नक्शों में हुई हानि की प्रतिपूर्ति/वसूली हेतु प्रयास नहीं किये गए है, अतः राशि रू 248526 के वसूली हेतु प्रयास किया जाये।

कंडिका 7–'एम' एवं 'एन' फार्म नहीं रहने के कारण अधिक भुगतान

माईन्स एवं मिनिरल निगम 1972 के आलोक में मुख्य सचिव के सर्कुलर न0 1/ESH-108/81-462 के पारा 16 के भाग 2 दिनांक 30.03.82 एवं सरकार के पत्र स0 585 दिनांक 21.03.2007 (माईन्स एवं मिनिरल विभाग) के अनुसार सामग्री के ढुलाई पर भुगतान तभी मान्य है जब संवेदक/एजेंसी द्वारा चलंत बिल के साथ एम एवं एन फार्म जमा किया जाता है। लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत कार्य संचिका के अवलोकन से पता चला कि ऐसी कोई फार्म संचिका में संलग्न नहीं पायी गयी। एम एवं एन फार्म नहीं रहने के बावजूद ढुलाई पर किए गए खर्च का भुगतान किया गया। जिससे संवेदक/कनीय अभियंता को राशि 144421 का अधिक भुगतान हुआ। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि एकरारनामा/परिमाण विपत्र में स्पष्ट लिखा गया कि बिना एम एवं एन फार्म के भुगतान नहीं किया जायेगा परन्तु भुगतान कर दिया गया है। विवरणी इस प्रकार है।

क	योजना सं0	प्रा0 राशि	संबेदक / क0अ0 का नाम	सामग्री की विवरणी	ढुलाई पर खर्च
1	07/2012–13	209800	श्री आयुब आलम	स्टोन चिप्स	27903
	तेरहवॉ वित्त		क0अ0 – श्री वंश सिंह	लाल बालु	4426
2	24/2012–13	408000	श्री आयुब आलम	स्टोन चिप्स	46627
	पथ निर्माण		क0अ0 – श्री वंश सिंह	लाल बलु	6385
3	26/2013–14	368400	श्री अनिल कुमार पाण्डे	स्टोन चिप्स	49826
	चतुर्थ असंबद्ध		क0अ0 – श्री वंश सिंह	लाल बलु	9254
			कुल		**144421**

उपरोक्त योजनाओं में बिना एम एवं एन फार्म के भुगतान के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

2. लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि नगर निकाय कार्यालय में योजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित किये बिना भुगतान कर दिया गया। संचिका में गुणवत्ता परीक्षण का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। साथ ही संचिका से यह पता नहीं चल सका संबंधित कनीय अभियन्ता द्वारा गुणवत्ता जॉच हेतु कार्य में प्रयुक्त सामग्री एवं Cube Test का नमूना संग्रहित किया गया था अथवा नहीं।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि सभी संबंधित फर्म से एम व एन फार्म की मॉग की जायगी। एवं भविष्य में चलाये जाने वाले योजनाओं में गुणवत्ता परीक्षण आवश्यक रूप से किया जायगा। अतः एम व एन फार्म उपलब्ध होने तक उपरोक्त योजनाओं में ढुलाई व्यय रू 144421 लेखापरीक्षा आपत्ति के अर्न्तगत रखा जाता है।

कंडिका 8– कम जमा रू 492584

नगर पंचायत बिक्रमगंज के वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 के होल्डिंग/विविध रसीद के नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कर संग्रहकर्ता द्वारा संग्रह की गयी राशि से रू 724624 कम जमा किया गया था, जिसमें से रू 232040 श्री भगवान सिंह, कर संग्रहकर्ता एवं विजय कुमार लेखापाल द्वारा लेखापरीक्षा अवधि में जमा कर दिया गया एवं शेष राशि रू 492584 संबंधित कर संग्रहकर्ताओं से वसूल किया जाय।

विवरणी

रसीद सं0	तिथि/ अवधि	संग्रह राशि	जमा राशि	कम जमा	लेखापरीक्षा अवधि में जमा	शुद्ध बकाया	कर संग्रहकर्ता	अभियुक्ति
8170	01.06.12	60	0	60	0	60	श्री भगवान सिंह	एच रसीद
1140 से 1200	06.07.15 से 03.02.16	26739	0	26739	0	26739	श्री भगवान सिंह	एच रसीद
8958	30.01.13	16934	0	16934	0	16934	श्री गणेश राम	एच रसीद
1260 से 1300	21.05.15 से 10.06.15	21691	0	21691	0	21691	श्री रंगबहादुर सिंह	एच रसीद
1501 से 1600	13.08.15 से 30.01.16	62163	0	62163	0	62163	श्री रंगबहादुर सिंह	एच रसीद
1301 से 1400	12.06.15 से 08.08.15	50234	0	50234	0	50234	श्री रंगबहादुर सिंह	एच रसीद
1601 से 1700	04.02.16 से 03.03.16	116253	0	116253	0	116253	श्री रंगबहादुर सिंह	एच रसीद
जीप टैक्सी विभागीय वसूली		7710	22	7688	0	7688	श्री विजय कुमार लेखापाल	विस्तृत विवरणी परिशिष्ठ में
जीप टैक्सी विभागीय वसूली		7144	0	7144	0	7144	श्री रंगबहादुर सिंह	
4543 से 4598	09.05.16	109260	0	109260	109260	0	श्री भगवान सिंह	विविध रसीद
3817 से 3841	.....	58450	0	58450	58450	0	श्री भगवान सिंह	विविध रसीद
1701 से 1745	.....	29902	0	29902	29902	0	श्री भगवान सिंह	एच रसीद
01 से 24	29.04.16	14001	0	14001	0	14001	श्री वर्मानन्द सिंह	विविध रसीद
01 से 04	09.09.15	7500	0	7500	0	7500	श्री वर्मानन्द सिंह	विविध रसीद
871 से 900	06.04.15	77485	0	77485	0	77485	मो मनउवर खान	एच रसीद
1401 से 1500	01.07.15 से 10.04.16	119120	0	119120	0	119120	मो मनउवर खान	एच रसीद
	कुल	**724646**	**22**	**724624**	**232040**	**492584**		